The details of provision of funds for programme relating to post offices under the 9th Plan proposal, are as below:

1. An outlay of Rs. 34.27 crores has been proposed for opening of post offices and provision of infrastructural equipment to extra Departmental Branch Post Offices.

2. An outlay of Rs. 146.58 crore has been proposed for modernisation of post offices through induction and upgradation of technology.

3. An outlay of Rs. 3 crore has been proposed for providing computer training to staff.

(f) With a view to ensuring greater autonomy to the Postal Services Board, the following steps have been taken:

(i) The power to decide disciplinary cases referred to the apex level, earlier vested with the Secretary, has been delegated to the concerned Member of the Board.

Financial powers earlier exercised by the Secretary, are now available to the concerned Members of the Board. This action has been taken to ensure smooth operation of the services offered, particularly those within the purview of the postal Life Insurance Directorate and the Business Development Directorate. These Directorates were set up to focus on premium products and life insurance schemes, improve efficiency and enhance business generation since the Department is facing competition in these key areas.

सेल्युलर सेवाओं का प्रचालन

619. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सेल्युलर सेवाओं के प्रचालन हेतु अब तक जिन राज्यों और पक्षकारों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इन सेवाओं के प्रचालन और वित्तीय निवेश की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे सभी पक्षकारों ने लाइसेंस शुल्क की अपेक्षित सभी किस्तें जमा करा दी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन पक्षकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कराया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) देश में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के प्रचालन के लिए जारी किए गए आशय पत्रों को अब लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है (नीचे देखिये)। प्रचालन और वित्तीय निवेश की शर्तें विवरण-II में (नीचे देखिए) दी गई हैं

(ग) जी, नहीं।

(घ) जिन पार्टियों ने पूरे लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उनके नाम विवरण-III में दिए गए हैं (नीचे देखिए) बकाया लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए नियमित अनुस्मारकों के माध्यम से पार्टियों पर जोर डाला जा रहा है। बैंक गारंटियां प्राप्त की जा रही हैं ताकि बकाया राशियों की वसूली निश्चित की जा सके। इस पर सफलता न मिलने पर, बैंक गारंटियां भुनाने पर भी कार्रवाई की जा रही है।

सेल्युलर प्रचालकों तथा सेल्युलर ओपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से उनकी वित्तीय कठिनाईयों, और लाइसेंस शुल्क के भुगतान में 2 वर्ष के विलम्ब की राहत प्रदान करने तथा लाइसेंस अवधि को मौजूदा 10 वर्ष से 15 वर्ष तक बढ़ाने की मांग के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एण्ड प्राइजिज को सेल्युलर उद्योग संबंधी एक विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है।

विवरण I

सेवा क्षेत्रों (महानगर तथा दूरसंचार सर्किल) तथा लाइसेंस कंपनियों का ब्यौरा

सेवा क्षेत्र	कम्पनी का नाम
(क) मेट्रो शहर	
बम्बई	1. बीपीएल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
	2. हटचिसन मैक्स टेलीकॉम लिमिटेड
कल्कत्ता	1. मोदी टैलस्ट्रा प्रा० लि०
	2. ऊषा मार्टिन टेलीकॉम लि०
दिल्ली	1. भारती सैल्यूलर लि०
	2. स्टर्लिंग सैल्युलर लि०
मद्रास	1. आरपीजी सैल्यूलर लि०
	2. स्काई सैल कम्यूनिकेशन्स प्रा० लि०

(ख) प्रादेशिक दूरसंचार सर्किल

सर्किल	कम्पनी का नाम
असम	1. रिलायन्स टेलीकॉम लि०
आन्ध्र प्रदेश	1. जे०टी० मोबाइल लि०
	2. टाटा कम्यूनिकेशन्स प्रा० लि०
बिहार	1. रिलायन्स टेलीकौम लि०
	2. कोशिका टेलीकॉम प्रा० लि०
गुजरात	1. बिरला एटी एण्ड टी कम्यूनिकेशन प्रा० लि०
	2. फेसल लि०
हरियाणा	1. एस्कोटल मोबाइल कॉम प्रा० लि०
	2. एअरसेल डिजिलिंक इंडिया लि०
हिमाचल प्रदेश	1. भारती टेलीनेट लि०
	2. रिलायन्स टेलीकॉम लि०
कर्नाटक	1. मोदीकॉम नेटवर्क प्रा० लि०
	2. जे०टी० मोबाइलस लि०
केरल	1. एस्कोटेल मोबाइल कॉम० प्रा० लि०
	2. बीपीएल यूएस वैस्ट सैलयुलर टेलीकॉम सर्विसेज प्रा० लि०
मध्य प्रदेश	1. आरपीजी सैलकॉम लि०
	2. रिलायन्स टेलीकॉम लि०
महाराष्ट्र	1. बिरला एटीएण्डटी कम्यूनिकेशन्स लि०
	2. बीपीएल यूएसवैस्ट सैल्युलर टेलीकॉम सर्विसिज प्रा० लि०
पूर्वोत्तर	1. रिलायन्स टेलीकॉम लि०
	2. हैक्साकॉम इंडिया लि०
उड़ीसा	1. कोशिका टेलीकॉम प्रा० लि०
	2. रिलायन्स टेलीकॉम लि०
पंजाब	1. जे०टी० मोबाइल्स लि०
	2. मौदिकॉम नेटवर्क प्रा० लि०

सर्किल	कम्पनी का नाम
राजस्थान	1. हैक्साकॉम इंडिया लि॰
	2. एयरसैल डिजिलिंक इंडिया लि॰
तमिलनाडु	1. बीपीएल यूएस वैस्ट सेल्युलर टेलीकॉम सर्विसेज प्रा॰ लि॰
	2. श्रीनिवास सैलकॉम लि॰
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1. एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि॰
	2. कोशिका टेलीकॉम प्रा॰ लि॰
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1. कोशिका टेलीकॉम प्रा॰ लि॰
	2. एयरसैल डिजिलिंक इंडिया लि॰
पश्चिम बंगाल	1. रिलायन्स टेलीकॉम लि॰

टिप्पणी: कुछ अपवादों को छोड़कर दूरसंचार सर्किल सामान्यतः राज्यों के साथ सह-सत्रावसानी हैं।

विवरण-II

प्रचालन तथा वित्तीय निवेश की मुख्य शर्तें:

1. लाइसेंस धारक कम्पनियां भारतीय पंजीकृत कम्पनियां होनी चाहिएं।
2. लाइसेंस की आरंभिक अवधि 10 वर्ष होगी जो सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
3. लाइसेंस धारक, लाइसेंस प्रभावी होने की तारीख से 12 महीनों के अन्दर सेवा प्रदान करेगा।
4. मोबाइल कम्यूनिकेशन्स (जी एस एम) स्टैंडर्ड के लिए सेवा ग्लोबल प्रणालियों के अनुकूल होनी चाहिए।
5. सेवा, लाइसेंस करार में निर्धारित उच्चतम टैरिफ के अन्दर ही प्रदान की जाएगी।
6. लाइसेंसधारक, यथा लागू किए गए अभिगम्यत और जंकशन प्रभारों के अलावा दूरसंचार प्राधिकरण की लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी करेगा।
7. लाइसेंस धारक बेतार लाइसेंस शुल्क डब्लू पी सी रॉयल्टी, जी एस एम एम ओ यू (ग्लोबल सिस्टम फ्रोट मोबाइल कम्यूनिकेशन्स-समझौता ज्ञापन) प्रभारों आदि का भुगतान भी करेगा।
8. लाइसेंस गैर-एकलिक आधार पर जारी किए जाते हैं।
9. लाइसेंस धारक, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के खंड 5 के प्रावधान के अनुसरण में, "कॉलों की निगरानी" की सुविधा भी प्रदान करेगा।
10. लाइसेंस धारक, कम्पनियों में सीधी विदेशी इक्विटी, इक्विटी के 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. स्थानीय और बाह्य वाणिज्यिक ऋण वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामक निकायों द्वारा अधिशासित होंगे।

विवरण-III

उन पार्टियों के नाम दर्शाने वाला विवरण जिन्होंने पूरे लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया है।

क्र॰सं॰	कम्पनी का नाम
1.	मैसर्स एयरसैल डिजिलिंक इंडिया लिमिटेड
2.	मैसर्स बिरला कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
3.	मैसर्स फेसल लिमिटेड
4.	मैसर्स हैक्साकॉम इंडिया लिमिटेड
5.	मैसर्स जे॰टी॰ मोबाइल्स लिमिटेड

क्र०सं०	कम्पनी का नाम
6.	मैसर्स कोशिका टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड
7.	मैसर्स टाटा कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	मैसर्स आर पी जी सैलकॉम लिमिटेड
9.	मैसर्स मोदी कॉम नेटवर्क (प्राइवेट) लिमिटेड

टिप्पणी: 1. लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी लाइसेंस धारक कम्पनियों ने पहले वर्ष के आरंभिक लाइसेंस शुल्क का पूरा भुगतान कर दिया है।

2. उपर्युक्त कम्पनियों में से कुछ को निर्धारित ब्याज सहित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने का समय बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है।

Telephone facilities in villages of Gujarat

620. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of villages provided with telephone facilities in Gujarat, district-wise;

(b) the number of villages that are yet to be provided the telephone connections, district-wise; and

(c) the steps taken by Government to provide the telephone connections in those villages?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) and (b) The total Villages in Gujarat—18125.

Villages provided with VPTs upto 31.3.98—13923.

Balance—4202 villages.
The details are given in the Statement. (*See* below)

(c) All the remaining villages are to be provided with telephone facility by M/S Reliance Ltd. as per the terms of the licence agreement for Basic Telephone Service.

Statement

Sl. No.	Name of District	No. of villages with telephone facility	No. of villages yet to be provided with telephone facility
1.	Ahmedabad	595	51
2.	Gandhinagar	71	2
3.	Amreli	550	45
4.	Bhavnagar	753	112
5.	Bharuch	820	296
6.	Bhuj	570	314
7.	Panchmahal	1137	749
8.	Sabarkantha	985	378
9.	Jamnagar	593	101
10.	Junagarh	852	182
11.	Mehsana	987	106
12.	Kheda	948	17
13.	Banaskantha	990	378
14.	Rajkot	813	28
15.	Surat	865	320
16.	Surendranagar	645	03
17.	Vadodara	949	690
18.	Valsad	605	216
19.	Dang	141	168
20.	Union Territory	54	46
	TOTAL:	13923	4202